न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 05/2024

बनाम

अपीलांटः–	रेस्पोडेंट :–
1. श्री यशपालसिंह रोठौड़ पुत्र देवीसिंह निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।	1. उपखण्ड अधिकारी, सिवाना 2. तहसीलदार सिवाना

आदेश

दिनांक 08.05.2024

अपीलार्थी श्री यशपालसिंह रोठौड़ पुत्र देवीसिंह निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पंत्राक सू.का.अ./2024/204 दिनांक 07.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 01 में चाही गई सूचना आवासीय इकाई के अतरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन के भूमि संपरिवर्तन के प्रकरण नियमानुसार जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट को वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी सिवाना के पंत्राक सू.का.अ. /2024/204 दिनांक 07.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिन्दु संख्या 01 में चाही गई सूचना आवासीय इकाई के अतरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन के भूमि संपरिवर्तन के प्रकरण नियमानुसार जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिवाना को निर्देश दिऐ जाते है कि बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे अन्यथा उसे इस संबंध में सूचित किया जाकर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा